दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/216
दिनांक: 08.06.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: आरबीआई ने निर्यात प्राप्ति की समयसीमा को सख्त किया: अवधि 15 महीने से घटाकर 9 महीने कर दी गई

संदर्भ: आरबीआई अधिसूचना एफ. संख्या FEMA 23(R)/ (8)/2026-RB दिनांक 5 जून 2026

हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियमों के विनियम 9 में संशोधन से संबंधित उपरोक्त अधिसूचना के बारे में आपको सूचित करना चाहते हैं। FEMA के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निर्यात आय की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन के लिए उपलब्ध अधिकतम अवधि को **15 महीने से घटाकर 9 महीने** कर दिया है ।

नियम 9 में संशोधन

मुख्य विनियमों में, विनियम 9 (**वह अवधि जिसके भीतर वस्तुओं/सॉफ्टवेयर/सेवाओं के निर्यात मूल्य को प्राप्त किया जाना है):**

(i) उप-विनियम (1) में 'पंद्रह माह' शब्दों के स्थान पर 'नौ माह' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

*निर्यातित वस्तुओं/सॉफ्टवेयर/सेवाओं के संपूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि निर्यात की तारीख से **नौ महीने** के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है, प्राप्त की जाएगी और भारत को वापस भेजी जाएगी, बशर्ते।*

(ii) उप-विनियम (2) में खंड (क) में 'पंद्रह माह' शब्दों के स्थान पर 'नौ माह' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) (क) जहां विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) / स्टेटस होल्डर निर्यातक / निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्कों (बीटीपी) में स्थित इकाइयों द्वारा माल / सॉफ्टवेयर / सेवाओं का निर्यात किया गया है, जैसा कि

*प्रचलित विदेश व्यापार नीति में परिभाषित है, तो उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, माल या सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि निर्यात की तारीख से **नौ महीने** के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है, प्राप्त की जाएगी और भारत को वापस भेजी जाएगी।*

यह संशोधन 5 जून 2026 से लागू होगा ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक अधिसूचना यहां देखें:

आरबीआई अधिसूचना :
https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=13467&Mode=0

आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना:
https://rbidocs.rbi.org.in/rdo cs/content/pdfs/EGS05062026G. pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सम्मान

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल